

फर्द अहकाम

न्यायालय उप जिला कलेक्टर वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर

नासिर अहमद

बनाम

इकरार अहमद वगै०

किस्म दावा

मुकदमा नं०.....७१...../2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनेशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.07.2025	<p>यह दावा अन्तर्गत धारा 188 रा.टी. एक्ट वादी की ओर से श्री मो० इस्लाम खान, एडवोकेट ने न्यायालय के समक्ष पेश किया। वादी के वकील को सुना गया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। तलबी प्रतिवादीगण जरिये रजिस्टर्ड नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 21.08.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>Sumit</i></p>	<p>1385-91</p>
21-8-25	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी के वकील वकील उपस्थित वकील वादी जाद-पत्र को पलाना नहीं चाहते थे। वकील वादी के बाद-पत्र को नोट प्रेष में स्वीकार करने की प्रवृत्ति थी। इस जाद-पत्र नोट प्रेष के स्वीकार किया जाता है। पत्रावली क्रमांक 2025/112 के अनुसार है।</p> <p style="text-align: right;"><i>Sumit</i></p> <p style="text-align: right;">उप जिला कलेक्टर वजीरपुर (सवाई माधोपुर सिटी)</p>	<p>NOT PRESS</p>

